राजस्थान सरकार
कार्यालय उप नगर नियोजक
अलवर क्षेत्र अलवर

क्रमांकः–एएलआर 1629/ 881

6 NOV 2015
दिनांकः–

सचिव,
नगर विकास न्यास,
अलवर।

विषयः– न्यास की स्कीम न0 8 का पार्ट ले–आउट प्लान स्वीकृति बाबत।

प्रसंगः– आपका पत्र क्रमांक एफ–2/आयोजना/12271/15 दिनांक 02.09.15 व मुख्य नगर नियोजक, एनसीआर का पत्रांक टीपीआर/एनसीआर/अलवर–जनरल/3/749 दिनांक 09.10.15

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि न्यास की स्कीम न0 8 का पार्ट ले–आउट प्लान स्वीकृति बाबत कार्यालय की राय हेतु ले–आउट प्लान प्राप्त हुआ है। स्कीम –8 पार्ट प्लान स्वीकृति हेतु मुख्य नगर नियोजक महोदय को भिजवाया गया। उनके द्वारापत्र क्रमांक टीपीआर/एनसीआर/अलवर–जनरल/3/749 दिनांक 09.10.15 द्वारा सम्पूर्ण स्कीम के क्षेत्रफल के अनुसार गणना करते हुये ले–आउट प्लान स्वीकृत करने के निर्देश प्रदान किये गये। अतः निम्न शर्तो के साथ पार्ट प्लान स्वीकृत किया जाता है।

1. प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल, स्वामित्व आदि की जॉच न्यास स्तर पर की जावेगी।
2. प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का न्यायिक वाद विवाद तो नही है इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी नगर विकास न्यास की होगी।
3. आवेदित स्थल/आस – पास के क्षेत्र मे राजस्व रिकार्ड मे स्थित तालाब/नालो एवं अन्य जलाशय जल भराव क्षेत्र/क्षमता आदि की जॉच आदि कार्यालय जिला कलक्टर अलवर के स्तर पर की जानी होगी।
4. पार्ट प्लान मे ले–आउट प्लान की गणना सम्पूर्ण योजना के अनुसार ही रखी जावेगी।
5. योजना के विभिन्न उपयोगी की गणना टाउनशिप पॉलिसी के अनुसार की जावेगी।

भवदीय,

उप नगर नियोजक,
अलवर क्षेत्र अलवर

E:\Alwar office\ANCHITA ANUMODAN\LAYOUT APPROVAL.doc265

कार्यालय नगर विकास न्यास अलवर

क्रमांकः–

दिनांकः–23

–: कार्यालय आदेश :–

ले–आउट प्लान स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 11.11.2020 के निर्णयानुसार स्कीम नं0 8 अलवर के योजना की भूमि खसरा नं0 साबिक 3053, 3054 हाल 1073, 1074 ग्राम अलवर नं0 2 संशोधित ले–आउट प्लान निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

01. स्वीकृत ले–आउट प्लान के अनुसार मौके पर निर्माण सडक व पार्क का निर्माण करना होगा।
02. स्वीकृत ले–आउट प्लान का नियमानुसार रैरा में रजिस्ट्रेशन करना होगा।

–sd–
सचिव
नगर विकास न्यास, अलवर

क्रमांकः 9497-99/20
दिनांक : 24/11/2020

प्रतिलिपी –

01. उप नगर नियोजक, न्यास अलवर को भेजकर लेख है कि रैरा में रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
02. अधिशाषी अभियन्ता–प्रथम, न्यास अलवर को भेजकर लेख है कि मौके पर स्वीकृत ले–आउट प्लान के अनुसार कार्यवाही करावें।
03. प्रभारी अधिकारी आवंटन, न्यास अलवर को भेजकर लेख है कि स्वीकृत ले–आउट प्लान के अनुसार आगामी कार्यवाही सम्पादित करावें।

सचिव
नगर विकास न्यास, अलवर

Phone No-0144-2700456,Faxno.-0144-2332346,Mail ID-uitalwar@gmail.com,NearBhagatsingh Circle,Alwar 301001
"Clean Alwar-Green Alwar"

U.I.T. ALWAR

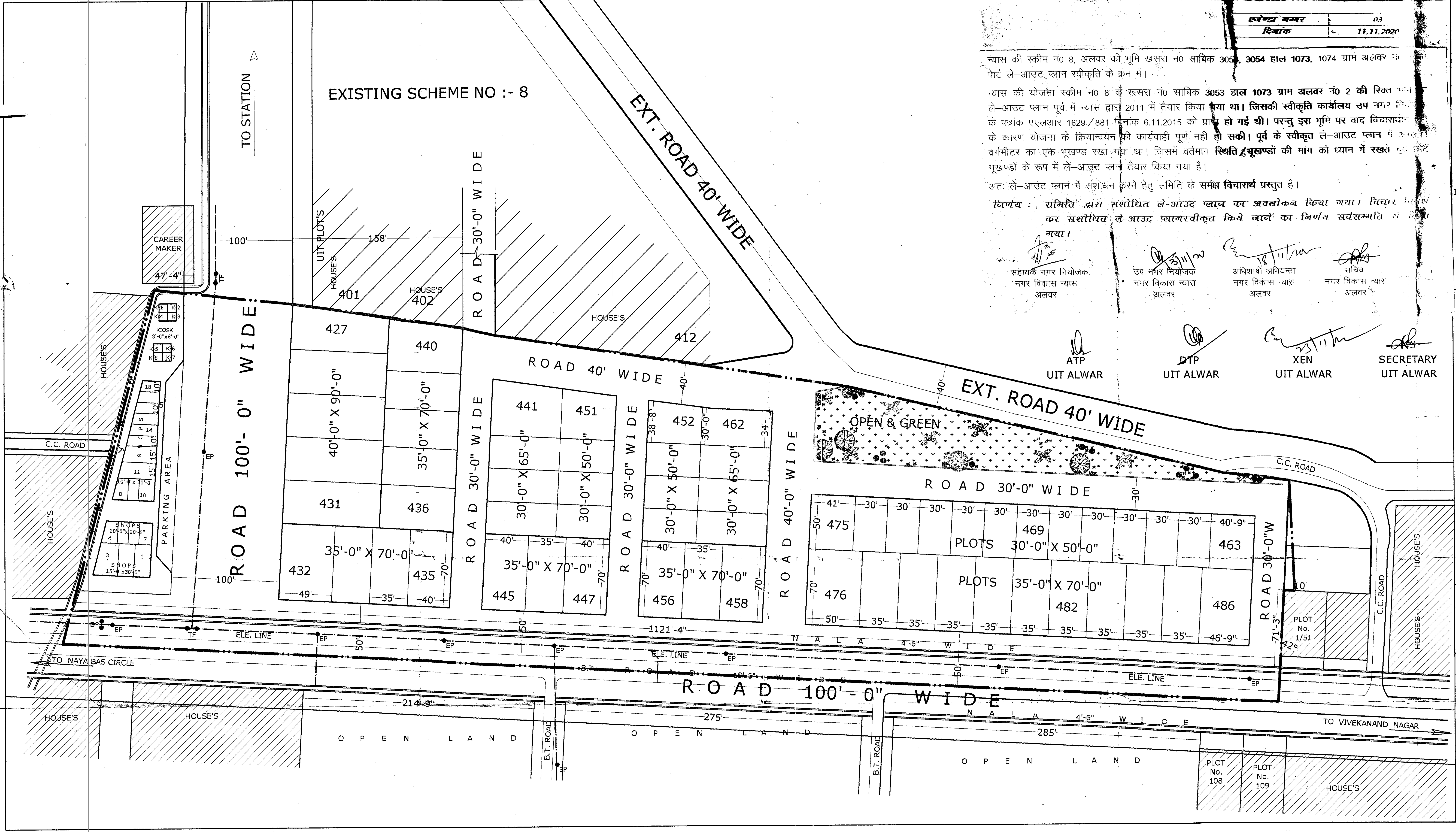

एजेण्डा नम्बर	03
दिनांक	11.11.2020

न्यास की स्कीम नं0 8, अलवर की भूमि खसरा नं0 साबिक 3053, **3054 हाल 1073,** 1074 ग्राम अलवर नं0 ... पोर्ट ले–आउट प्लान स्वीकृति के क्रम में।

न्यास की योजना स्कीम न0 8 के खसरा नं0 साबिक **3053 हाल 1073 ग्राम अलवर नं0 2 की रिक्त** ... ले–आउट प्लान पूर्व में न्यास द्वारा 2011 में तैयार किया **गया था। जिसकी स्वीकृति कार्यालय उप** नगर ... के पत्रांक एएलआर 1629 / 881 दिनांक 6.11.2015 को प्राप्त **हो गई थी। परन्तु इस भूमि पर वाद** विचाराधीन ... के कारण योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही पूर्ण नहीं **हो सकी। पूर्व के स्वीकृत** ले–आउट प्लान में ... वर्गमीटर का एक भूखण्ड रखा गया था। जिसमें वर्तमान **स्थिति / भूखण्डों की मांग को ध्यान में रखते** हुए छोटे भूखण्डों के रूप में ले–आउट प्लान तैयार किया गया है।

अतः ले–आउट प्लान में संशोधन करने हेतु समिति के समक्ष **विचारार्थ** प्रस्तुत है।

*निर्णय :- समिति द्वारा संशोधित ले-आउट **प्लान का अवलोकन** किया गया। विचार ... कर संशोधित ले-आउट प्लानस्वीकृत **किये जाने का** निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।*

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास अलवर	उप नगर नियोजक नगर विकास न्यास अलवर	अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास अलवर	सचिव नगर विकास न्यास अलवर
ATP UIT ALWAR	DTP UIT ALWAR	XEN UIT ALWAR	SECRETARY UIT ALWAR

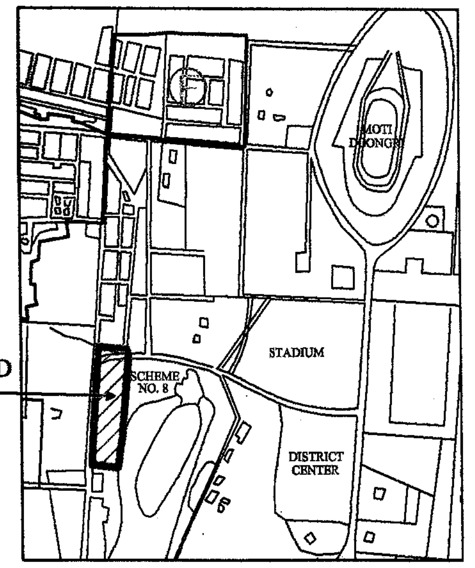

KEY PLAN

AREA ANALYSIS. -

S.NO.-	USE	AREA (Sq. Mtr.)	PERCENTAGE
1	RESIDENTIAL	12806.76	45.40 %
2	COMMERCIAL	549.69	1.94 %
3	OPEN & GREEN	1504.94	5.33 %
4	CIRCULATION	13344.92	47.33 %
5	TOTAL AREA	28206.31	100.00 %

SIZE & NO. OF PLOTS & SHOPS -

SR.NO-	SIZE OF PLOTS	NO.OF PLOTS	
1.	40'-0" X 90'-0"	05	60
2.	35'-0" X 70'-0"	26	
3.	30'-0" X 65'-0"	08	
4.	30'-0" X 50'-0"	21	
5.	KIOSK 8'-0" X 8'-0"	08	26
6.	SHOPS 15'-0" X 30'-0"	05	
7.	SHOPS 10'-0" X 20'-0"	10	
8.	SHOPS 10'-0" X 15'-0"	03	
TOTAL NO OF PLOTS & SHOPS			86

NOTE -
SCHEME BOUNDARY SHOW ———

U.I.T. ALWAR

PROPOSED PART LAY OUT PLAN OF SCHEME NO ;- 8 (GANDHI NAGAR) ALWAR (RAJ.)

DRN BY-	SCALE : - 1" = 70'-0"	CHECKED BY-

SD ASSTT.TOWN PLANNER U.I.T. ALWAR	**SD** DIRECTOR CUM SECRETARY U.I.T. ALWAR

URBAN IMPROVEMENT TRUST, ALWAR